

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी- कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 127/2015

दायर दिनांक: 24.11.2015

मंगलाराम पुत्र मोटाराम जाति रेगर निवासी वार्ड न. 30, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

-अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
2. नगरपालिका सूरतगढ़ जरिये अधि पाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़

-रेस्पोंडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार
2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 पैरोकार राज
3. रेस्पोंडेंट न. 2 न0पा0, सूरतगढ़ की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा

निर्णय

दिनांक:-27.04.2022

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 07.09.2006 जिसके द्वारा अपीलांट का रोही सूरतगढ़ खसरा न. 267 की 6.325 है0 टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2006 अपीलांट को बिना सुने, बिना विधिवत सूचना जारी कर तामील करवाये एकतरफा तौर पर मिसल के मूल रिकार्ड, विधि विरुद्ध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश जारी कर अपीलांट के 37 वर्ष पुराने टी.सी.आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलान्ट को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें सन 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत सन् 1977 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन से लेकर लगातार नवीनीकरण होता रहा तथा आवंटन की दिनांक से लेकर लगातार जैर अपील रकबा पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व आवंटी को नियमानुसार तामील करवाये बिना ही एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त में चली आ रही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में आना मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगरपालिका की पैराफेरी सीमा से बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। पैराफेरी क्षेत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ जिला-श्री गंगानगर

स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्धति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांट्स उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व मातहत न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2006 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ की ओर से दिनांक 07.10.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 41 नियम 20 सीपीसी पेश कर नगरपालिका सूरतगढ़ को पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया गया था। अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 41 नियम 20 सीपीसी स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रकरण का अवलोकन करने से पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित टी.सी. खारिज के निर्णय की दिनांक को प्रश्नगत भूमि में नगरपालिका का कोई हित नहीं था क्योंकि टी.सी. खारिज होने के बाद भूमि आराजी राज दर्ज होने के पश्चात रकबा नगरपालिका सूरतगढ़ को हस्तांतरित होना प्रकट होता है। अतः प्रकरण न्यायोचित निर्णय हेतु न्यायहित में प्रार्थी (नगरपालिका, सूरतगढ़) को उसका पक्ष रखने के लिए इस प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 41 नियम 20 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार उपस्थित हुए तथा रेस्पोंड संख्या 1 पैरोकार राज हाजिर आये व रेस्पोंड संख्या 2 नगरपालिका सूरतगढ़ की तरफ से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2006 अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के अपीलांट के 37 वर्ष पुराने आवंटन को अपने ही कयासों के आधार पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.2006 में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर अपीलांट का रकबा खारिज फरमा दिया गया व रकबा बहक सरकार लेने के आदेश दे दिये। उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में पटवारी हल्का के शपथ पत्र व ब्यान नहीं लिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व ना तो अपीलांट को नियमानुसार तलब किया गया तथा न ही साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में आना मानकर उक्त रकबा खारिज कर दिया जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगरपालिका की पैराफरी सीमा से बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांट का रकबा नगरपालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काशत को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार को टी.सी. आवंटन खारिज करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैर अपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सूरतगढ़ जिला-श्री गंगानगर



निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकेशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्ल्यू 2016 (1) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया। अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं करवाया गया है। न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू. 2010 पेज न. 174 व आरआरडी 1999 पेज न. 346 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि यदि पक्षकारान को विधिवत नोटिस तामील नहीं हुआ है तो मियाद जानकारी की तिथि से मानी जानी चाहिए। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 07.09.2006 खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया।

5. पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पेरफैरी व मास्टर प्लान में आ गयी जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। टी.सी. आवंटन के खारिज के बाद नवीनीकरण का पट्टा नहीं है। अतः अपील स्वीकार योग्य नहीं है अतः अपील खारिज की जावे।
6. रेस्पो. संख्या 02 नगरपालिका सूरतगढ़ के अधिवक्ता ने दौराने बहस धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.09.2006 का है, तथा यह अपील 9 वर्ष पश्चात दिनांक 24.11.2015 को पेश की गई। दस वर्ष की देरी माफी योग्य नहीं है। टी.सी. आवंटन को प्रतिवर्ष अपना टीसी आवंटन नवीनीकरण करवाने के लिए तहसील कार्यालय में आना पडता है, कब्जा काशत की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पडती है। अपीलांट को जैरअपील आदेश पूर्णतया जानकारी थी उन्होने जानबुझकर अपील पेश नहीं की थी। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2015(2) पेज न. 1090, आर आर टी 2015 (1) पेज न. 232, आर आर टी 2002 पेज न. 33, आर आर टी 2010 पेज न. 801 की ओर ध्यान दिलाया। रेस्पो. 02 के अधिवक्ता ने मैरिट पर बहस करते हुए कथन किया कि टी.सी. आवंटन मात्र एक साल के लिए होता है व अवधि समाप्त होते ही टी.सी. आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। आरआरडी 1995 पेज न. 431, आर आर टी 2018 पेज न. 364, आर बी जे 1999 पेज न. 214 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि टी.सी. आवंटन को टी.सी. आवंटन के रकबा में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। रकबा पैराफैरी क्षेत्र में है जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।
7. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन है, ऐसे निर्णय को कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 07.09.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि अपीलांट का टी.सी.आवंटन रकबा सम्वत् 2061 तक नवीनीकृत होता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन में राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए अपीलांट का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज किया है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया

तिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)



है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते, क्योंकि जैरप्रकरण भूमि अपीलांट को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैंड के संबंध में है, वह भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन व विधिविरुद्ध होने से त्रुटिपूर्ण है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा मिसल संख्या 33/2006 अनवान मंगला पुत्र मोटा जाति रेगर साकिन सूरतगढ़ में दिनांक 07.09.2006 को पारित निर्णय निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमली अलारिया)

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ (दिनांक 07.09.2006)  
सूरतगढ़ (दिनांक 07.09.2006)